

ज्ञापांक—एस0आई0पी0बी0 201700005
सेवा में,

दिनांक— मार्च, 2018

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

विषय— मे0 खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर को 7000 मे0 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु टर्म लोन पर द्वितीय किश्त ब्याज अनुदान के रूप में रू0 3,18,872/- (मात्र तीन लाख अठाहर हजार आठ सौ बहत्तर रूपए) के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मे0 खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर को 7000 मे0 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद की बैठक दिनांक 13-01-2017 में स्टेज-1 का तथा दिनांक 14.07.2017 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरन्स प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (ii) में निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव में माननीय उद्योग मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत गैर प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है, अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2525 दिनांक 17.08.2017 द्वारा श्री आर0 के0 उपाध्याय, उप निदेशक, तक0 / एस0 आई0 पी0 बी0 प्रभारी, बिहार, पटना एवं श्री अलख कुमार सिन्हा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर से उक्त ईकाई का स्थल निरीक्षण कराया गया। उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 20.04.2017 से उत्पादनरत बताया गया है, अतः ईकाई अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. मे0 खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर के द्वारा हरिलोचनपुर, तिसवारा, सरायरंजन, समस्तीपुर में ईकाई की स्थापना के निमित्त लिए गए टर्म लोन पर प्रथम किस्त एवं द्वितीय के रूप में कुल रू0-14,44,413.00 (चौदह लाख चौदह हजार चार सौ तेरह रूपए मात्र) की राशि का अनुदान पूर्व में दिया जा चुका है।

4. ब्याज अनुदान की तृतीय किश्त के रूप में दिनांक-जनवरी, 2018 से फरवरी, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में रू0 3,18,872/- (मात्र तीन लाख अठाहर हजार आठ सौ बहत्तर रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

(v) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और सक्षम कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।

(vi) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की बिक्री/ लीज/ हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।

(vii) अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जायेगी।

(viii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उद्घोषणा किए जाने, उपलब्ध कराए गए कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जायेगी।

(ii) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप की जाएगी।

5. उक्त राशि का व्यय वहन "स्वीकृत्यादेश सं०-1014, दिनांक-14.03.18 एवं सहपठित पत्रांक-1028, दिनांक-15.03.2018 एवं आवंटनादेश सं०-138/आ०, दिनांक-15.03.2018 एवं सहपठित पत्रांक-140, दिनांक-19.03.18 के आलोक में मांग संख्या- 23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष- 2852- उद्योग, उप मुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष- 0160- प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड- 23.2852801020160 के अंतर्गत विषय शीर्ष- 0160.33 01 सब्सिडी में वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित आवंटित राशि से की जाएगी।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रशीद पर बी० टी० सी० फार्म-25 पर की जाएगी।

9. इस राशि का भुगतान मे० खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर को उनके भारतीय स्टेट बैंक, तेघरा, बेगुसराय में खाता संख्या- 35746166130, IFS Code-SBIN0003012 में RTGS के माध्यम से की जाएगी।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(पंकज कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक- मार्च, 2018

ज्ञापांक-एस०आई०पी०बी० 201700005

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक- मार्च, 2018

ज्ञापांक-एस०आई०पी०बी० 201700005

प्रतिलिपि: वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,
बिहार, पटना।

दिनांक- 2/ मार्च, 2018

ज्ञापांक-एस०आई०पी०बी० 201700005

1185

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-1 (सरकार)/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, मे० खुदनेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०,